भारत सरकार
खान मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1082
दिनांक 09.02.2026 को उत्तर देने के लिए

खनन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी

1082. श्री एस. कल्याणसुन्दरमः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार हालिया खनन क्षेत्र सुधारों के तहत निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ा रही है तथा महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों सहित खनिज ब्लॉकों की नीलामी कर रही है;
(ख) निजीकरण या वाणिज्यिक नीलामी के लिए चिन्हित खनिज ब्लॉकों और सार्वजनिक क्षेत्र की खनिज संपत्तियों का राज्य-वार विभाजन और समय-सीमा का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने इन उपायों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, श्रमिकों की नौकरी की सुरक्षा और खनिज वाले राज्यों के राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है; और
(घ) बढ़ी हुई निजी भागीदारी के बीच पर्यावरणीय अनुपालन, सामुदायिक कल्याण और स्थायी खनन प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित सुरक्षा उपाय क्या हैं?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग): खनिज रियायतें प्रदान करने हेतु नीलामी शुरु करने के उद्देश्य से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) में वर्ष 2015 में संशोधन किया गया था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021 में किए गए संशोधनों ने अंतिम उपयोग संबंधी प्रतिबंधों को हटाकर, कैप्टिव खानों से खनिजों की बिक्री की अनुमति देकर, नीलामी के माध्यम से चयनित सफल बोलीदाता को वैधानिक मंजूरी के स्वतः अंतरण का प्रावधान करके और खनिज रियायतों के अंतरण की अनुमति देकर खनिज ब्लॉकों की त्वरित नीलामी और प्रचालन को सुगम बनाया। जी4 स्तर पर समेकित अनुज्ञप्ति ब्लॉकों और जी3 स्तर पर सतही खनिजों के लिए खनन पट्टा ब्लॉकों की नीलामी की अनुमति देकर नीलामी ढांचे को सरल बनाया गया। एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2023 के अनुसरण में, केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण और सामरिक खनिज ब्लॉकों के साथ नीलामी करने का अधिकार दिया गया है।

सफलतापूर्वक नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों और नीलामी के लिए रखे गए खनिज ब्लॉकों का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

खनिज ब्लॉक, नीलामी प्रक्रिया में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की भागीदारी के लिए खुले हैं। खनन पट्टाधारकों को लागू संबंधित कानूनों, जिनमें श्रम कानून भी शामिल हैं, के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। इसके अलावा, पट्टेदारों को नीलाम की गई खानों के संबंध में नीलामी प्रीमियम, रॉयल्टी और जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) तथा राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास (एनएमईडीटी) में अंशदान का भुगतान करना अपेक्षित होता है। रॉयल्टी, नीलामी प्रीमियम और डीएफएम में अंशदान संबंधित राज्य सरकारों को मिलता है। विभिन्न सुधारों के परिणामस्वरूप, राज्य सरकारों के राजस्व में काफी वृद्धि हुई है।

(घ) खनिज रियायतें देने से पहले, पर्यावरण मंजूरी के साथ केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों से अपेक्षित वैधानिक मंजूरियां प्राप्त करना अनिवार्य है। पर्यावरण मंजूरी प्रदान करने के भाग के रूप में, संभावित पट्टेदार पर्यावरण प्रभाव का आकलन (ईआईए) करते हैं और परियोजना कार्यकलाप के आधारभूत पर्यावरण पर संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) प्रस्तुत करते हैं। खनन पट्टाधारक पर्यावरण मंजूरी के दौरान यथा अनुमोदित पर्यावरण शमन उपायों को लागू करते हैं।

एमएमडीआर अधिनियम की धारा 9ख राज्य सरकारों को खनन संबंधी प्रचालनों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के कल्याण और लाभ के लिए डीएमएफ स्थापित करने का अधिकार देती है। इसके अलावा, खान मंत्रालय ने खनिज संरक्षण और विकास नियम (एमसीडीआर), 2017 के अध्याय-V के तहत प्रावधान करके सतत खनन कार्यपद्धतियों को लागू किया है। नियमों में वायु प्रदूषण के प्रति सावधानी, विषाक्त तरल पदार्थ के स्राव की रोकथाम, ध्वनि प्रदूषण के प्रति सावधानी, भूमि धंसाव पर नियंत्रण आदि के लिए प्रावधान शामिल किए गए हैं।

एमसीडीआर, 2017 के नियम 35 में खनिकों द्वारा अपनाई गई सतत खनन कार्यपद्धतियों के आधार पर खनन पट्टों की स्टार रेटिंग का प्रावधान है। स्टार रेटिंग स्कीम को पर्यावरण और वन सुरक्षा के लिए एक अंतर्निहित अनुपालन तंत्र के रूप में तैयार किया गया है और यह क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वालों की पहचान करने में सहायक रहा है, जबकि सभी खनन पट्टा धारकों को उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इसके अलावा, एमसीडीआर, 2017 के नियम 35 (4) के अनुसार, खनन पट्टे के प्रत्येक धारक को खनन प्रचालन शुरू होने की तारीख से चार वर्ष की अवधि के भीतर कम से कम तीन-स्टार रेटिंग प्राप्त करना और उसके बाद इसे वर्ष-दर-वर्ष आधार पर बनाए रखना अनिवार्य है।

*****

अनुलग्नक

दिनांक 09.02.2026 को राज्य सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 1082 के उत्तर के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2015 से सफलतापूर्वक नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों की संख्या	नीलामी के लिए रखे गए खनिज ब्लॉकों की संख्या
आंध्र प्रदेश	37	13
अरुणाचल प्रदेश	5	3
असम	7	-
बिहार	4	1
छत्तीसगढ़	61	8
गुजरात	43	20
झारखंड	11	1
कर्नाटक	64	7
मध्य प्रदेश	121	-
महाराष्ट्र	45	1
ओडिशा	63	12
राजस्थान	117	13
तमिलनाडु	2	23
तेलंगाना	6	2
उत्तर प्रदेश	13	1
उत्तराखंड	1	1
गोवा	12	6
पंजाब	-	1
पश्चिम बंगाल	-	2
जम्मू और कश्मीर	-	7
कुल	**612**	**122**

नोट: खनिज ब्लॉकों में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉक शामिल हैं